Online at: https://researchtrendsjournal.com
Indexed Journal

ISSN No: 2584-282X
Peer Reviewed Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 4; Issue 3; 2026; Page No. 44-52

Received: 13-02-2026
Accepted: 22-04-2026
Published: 29-05-2026

भारतीय संघवाद एक विकसात्मक रूप मे: क्षेत्रीय असमानताओं से समावेशी विकास तक

Aashish Kumar

Research Scholar, Department of Political Science, University of Delhi, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20732926

Corresponding Author: Aashish Kumar

सारांश

यह शोधपत्र सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद मॉडल के माध्यम से देश के आर्थिक व सामजिक विकास के बारे में है अध्यन दर्शता है कि कैसे सहकारी संघवाद मॉडल में केंद और राज्य दोनों मिलकर काम करे तो विकास को अंतिम पंक्ति तक भी पहुचाया जा सकता है और प्रतिस्पर्धी संघवाद सकारत्मक प्रतिस्पर्था के माध्यम से जिलों में विकास की उच्च दर को प्राप्त कर सकते है। नीति आयोग द्वारा चलाए गये आकांक्षी जिला कार्यकर्म के माध्यम से देश के समावेशी विकास व प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें दर्शाया गया है कि आकांक्षी जिला मॉडल के माध्यम से हाशिये पर खड़े लोगो तक कैसे विकास और सरकारी लाभों को उन तक पहुचाया गया। आकांक्षी जिला मॉडल ना सिर्फ सरकार के अंगो बल्कि शासन में सभी की भागीदारी जैसे- राजनीतिक, प्रशासनिक इकाई, निजी संस्था, नागरिक समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। यह अध्यन दर्शता है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 जोकि देश के संघीय ढांचे को दर्शाती है को किस तरह आकांक्षी जिला मॉडल तथा सहयोगी व प्रतिस्पर्धी संघवाद में माध्यम से जमीनी स्तर पर लाया गया व कैसे भारतीय संघवाद संविधान के प्रथम व अंतिम लक्ष्य "जनकल्याण" को प्राप्त करता है।

मूलशब्द: आकांक्षी जिला, समावेशी विकास, सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद, सतत् विकास।

प्रस्तावना

इस अध्ययन में गुणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग करते हुए वर्णनात्मक (Descriptive) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) दोनों प्रकार की विधियों को अपनाया गया है। वर्णनात्मक भाग में आकांक्षी जिला कार्यकर्म के प्रदर्शन को मापा गया है जिसमे जिलों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है, जबकि विश्लेषणात्मक भाग में सहकारी संघवाद व केंद्र और राज्य के सहयोगी दृष्टिकोंण का लोगों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का विशलेषण किया गया है।

संघवाद क्या है?

संघवाद एक सिद्धांत और सरकार दोनों का रूप है। फेडरल शब्द लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अनुबंध, समझौता या संधि। एक सिद्धांत के रूप मे, संघवाद का संबंध स्वशासन ओर साझा शासन से लिया जाता है जबकी शासन प्रणाली के रूप मे सरकार के स्वरूप से लिया जाता है। संघवाद का शाब्दिक अर्थ सविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा होता है जोकि केंद्र ओर राज्य सरकारो के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित होता है। भारतीय संविधान की अर्ध-संघवाद प्रकृति को सहकारी संघवाद के रूप में संदर्भित किया गया है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की अंतर्निहित स्वतंत्रता को मान्यता देती है। भारत एक संघीय राज्य होने के नाते, इकाइयों के बीच अनुबंध का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तंत्र है जो विभिन्न इकाइयों और उनके अलग-अलग स्वायत्त राजनीतिक प्रणाली को एक इकाई में बांधता है। दुनिया के तीन प्रमुख संघवाद यानी यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संघीय ढांचे की तरह ही भारतीय संविधान निर्माताओं को मजबूत केंद्र की आवश्यकता महसूस हुई। भारतीय संवैधानिक निर्माताओं ने भारतीय संघवाद को तीन स्तंभों पर आधारित किया है जो हैं: मजबूत केंद्र, लचीला संघ और सहयोगात्मक संघवाद (जैन, 1973)। भारतीय संघवाद एक ओर केंद्रीयरण प्रवृत्तियों और दूसरी ओर संघ की अलग-अलग कार्यप्रणालियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। भारतीय संघवाद को भारत की विविधता के साथ-साथ विभिन्न इकाइयों के कार्य करने के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। भारत एक संघीय राज्य होने के नाते, इकाइयों के बीच अनुबंध का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तंत्र है जो विभिन्न इकाइयों और उनके अलग-अलग स्वायत्त राजनीतिक प्रणाली को एक इकाई में बांधता है (कुमार, 2018)। जैसा की भारतीय संविधान का अनुच्छेद :1 कहता है कि "भारत राज्यों का संघ है" जिसका अर्थ है कि भारत का संघ स्थायी और अटूट है क्योंकि भारतीय फेडरलिज़्म को मजबूत केंद्र के साथ तैयार किया गया है और संविधान निर्माताओं को यह पता है कि हमारे देश के संसाधन असमान रूप

से वितरित हैं और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करने तथा भारतीय समाज की संरचना में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए हमें एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है। भारतीय संघवाद सभी पूर्वापेक्षाओं को पूरा करता है जो एक संघीय राज्य होने के लिए आवश्यक हैं, जैसे लिखित और कठोर संविधान से लेकर द्विसदनीय विधानमंडल तक। कुमार ने भारतीय संघवाद मे शक्ति के तीन प्रकार के आवंटन का वर्णन किया है, अर्थात्, ऊर्ध्वाधर शक्ति विभाजन, क्षैतिज शक्ति विभाजन और ट्रांसवर्सल शक्ति विभाजन। असमान शक्ति वितरण के अनुपात को भारतीय संघवाद में असमानताएँ कहा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति वितरण के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के केंद्र से विभिन्न सम्बन्धों के कारण भारतीय संघवाद को असममित संघवाद भी कहा जाता है (कुमार, 2014)।

सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद

सहयोगी संघवाद संघ की एक उपश्रेणी अवधारणा है जहां राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारो के संयोजन से तथा सामूहिक रूप से सामान्य समस्याओं को हल करने और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोगात्मक और सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। सहकारी संघवाद में, केंद्र और राज्य के बीच एक क्षैतिज ओर अनोखा संबंध देखा जाता है। वे समान दिशा में काम करके राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सहकारी संघवाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुद्दों और चिंताओं का न सिर्फ समर्थन करता है बल्कि उसको प्राप्त करने के लिए सहयोग भी करता है। इसमे केंद्र और राज्यों के बीच स्वस्थ और लचीला संबंध होता है और उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होता है। सहकारी संघवाद में, केंद्र सरकार से बड़े भाई की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है।

संघवाद का भारतीय मॉडल मुख्यतः "सहकारी" है, जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था।……

> "एक अर्थ में, भारतीय संघ संघीय है। लेकिन इसके संघवाद की सीमा काफी हद तक उस देश की प्रगति और विकास की आवश्यकताओं द्वारा कमजोर की गई है जिसे राष्ट्रीय रूप से एकीकृत, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समन्वित और सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाया जाना है। एक ऐसे सिस्टम के साथ, राज्य देश की वैध और व्यापक रूप से योजनाबद्ध विकास की दिशा में बाधा नहीं डाल सकते जिस प्रकार का निर्देश केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया है"

सहकारी संघवाद का सिद्धांत राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है और घर्षण को कम करता है, जो बदले में लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। राज्यों के बीच यह समन्वय जनकल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है। केंद्र के पास अधिक शक्ति व संसाधन होता है जिससे कि वह अन्य राज्यों को उनकी मांगों को पूरा करने में मदद कर सकता है। केंद्र उन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों पर भी निर्भर है, जो समवर्ती सूची के तहत बनाए जाते हैं। केंद्र और राज्य फिर भी अपने-अपने क्षेत्रों में स्वायत्त हैं, लेकिन स्थानीय निकाय नियंत्रण में हैं और उनकी स्वायत्तता सीमित है। इनके पास सत्ता और स्वायत्तता की कमी है जबकि उनके पास संबंधित क्षेत्र की जिम्मेदारी है। जोकि विकास की गति को धीमा कर देता है जिसकी वजह से भारतीय संघवाद और केंद्र-राज्य संबंधों पर हमेशा पुनर्विचार की आवश्यकता रहती है (कुमार, 2017)।

परंतु उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के साथ, भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर बढ़ने लगा ताकि समग्र समावेशी विकास प्राप्त किया जा सके। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की धारणा ने सभी हितधारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की प्रवृत्ति को राज्यों और देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक उपकरण माना जाता है। 'प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद' की धारणा, जो केंद्र और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की एक भावना को दर्शाती है, धीरे-धीरे 'सहयोगात्मक संघवाद' में बदल गई।

नीति आयोग और सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद

नीति आयोग, भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है, जोकि भारत सरकार की एक प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। 1 जनवरी 2015 को यह योजना आयोग की जगह स्थापित किया गया था। नीति आयोग का गठन भारत में अच्छे शासन को सक्षम करने के लिए किया गया है। यह सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएँ और नीतियाँ तैयार करता है। नीति आयोग एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र में विकसित हो रहा है, जिसमें तेजी से प्रतिक्रिया देने, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने, सरकार को रणनीतिक नीति दृष्टि प्रदान करने और अप्रत्याशित कठिनाइयों से निपटने की आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल हैं। इसका एक संबद्ध कार्यालय, विकास निगरानी और मूल्यांकन संगठन (DMEO) है, जो एक प्रमुख पहल, अटल नवाचार मिशन है। सहकारी संघवाद यह सुनिश्चित करता है कि सभी स्तरों पर सरकार राष्ट्रीय विकास की दिशा में कदम उठाए। यह गाँव स्तर पर योजनाएँ तैयार करने और उन योजनाओं को क्रमिक रूप से उच्च स्तर की शासन व्यवस्था पर एकत्रित करने के बजायें नीचे से ऊपर की योजना बनाने के दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ (CSS) केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख नीतियाँ होती है। जिसका सफल कार्यान्वयन राज्यों पर निर्भर होता है तथा राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और CSS के सफल कार्यान्वयन के साथ प्रभावी होती है। कभी-कभी, CSS की सफलता व विफलता राज्य की वित्तीय निर्भरता पर निर्भर करती है। केन्द्रीय नीतियों को जमीनीस्तर तक लाना राज्यों के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है जिसमे प्रशासनिक और वितीय संसाधनों की कमी नीति के सफल कार्यान्वयन में बाधा उत्पन करती है। कभी कभी राज्यों में अलग अलग सत्तारूढ़ पार्टी के कारण राजनीतिक इच्छा की कमी भी देखने को मिलती है (अय्यर और कपूर, 2019)।

2017 में, नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक "सहकारी संघवाद" की मांग की, यह बताते हुए कि यह फॉर्मूला केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध को फिर से परिभाषित करेगा। सहकारी, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की आत्मा में शासन पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए राज्यों की कार्यक्षमता में एक सकारात्मक संकेत दिखाई देता है।

आकांक्षी जिलों की अवधारणा

आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू की गयी एक प्रमुख पहल है जो प्रतिस्पर्धात्मक व सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देती है। यह कार्यक्रम भारत के 27 राज्यों व 112 सबसे कम विकसित ज़िलों पर केंद्रित है। महत्वाकांक्षी जिलों की अवधारणा उन जिलों की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने के चारों ओर घूमती है, जो विकासात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन जिलों की पहचान सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के प्रभाव के आधार पर की जाती है। यह इन ज़िलों को 5 स्तंभों पर रैंक करता है - स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बुनियादी अवसंरचना। ये रैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक और सहयोगात्मक संघवाद की भावना को बढ़ावा देती हैं। यह नवाचारी मॉडल 3C दृष्टिकोण पर आधारित है: समेकन (Convergence), सहयोग (Collaboration) और प्रतिस्पर्धा (Competition)। यह नवोन्मेषी प्रथाओं का एक मजबूत सेट बनाती है और इन ज़िलों को रैंक करने के लिए एक वास्तविक समय फीडबैक तंत्र उत्पन्न करती है। यह पहल केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से चुनौतियों को संबोधित करने, सार्वजनिक-निजी साझेदारी का लाभ उठाने और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. **सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण:** हाशिए पर खड़े समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में वृधि करने के लिए बेहतर सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करके सुदृढ़ करना।
2. **समग्र विकास:** यह सम्पूर्ण जिले के समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित करता है जिसमे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास सहित सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास सुनिश्चित करना।
3. **समन्वय और सहयोग:** विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों और हितधारकों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना ताकि विकासात्मक कार्यक्रमों और पहलों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
4. **समावेशी विकास पर ध्यान:** यह कार्यक्रम "सबका साथ, सबका विकास" के तहत समावेशी विकास सुनिश्चित करता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति के लिए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना है।
5. **विकेंद्रीकृत शासन:** यह राज्यों और जिलों को अद्वितीय स्थानीय चुनौतियों की पहचान करने और उनके निकटता और मुद्दों की समझ का लाभ उठाते हुए, स्थानीय समस्या के अनुकूल नीति डिजाइन करने का अधिकार देता है।
6. **संसाधनों का कुशल उपयोग:** विशेष वित्तीय आवंटनों के बजाय, कार्यक्रम बेहतर शासन, मौजूदा संसाधनों का अनुकूलित उपयोग और अतिरिक्त वित्त पोषण के बिना सुधारित परिणामों पर जोर देता है।
7. **सर्वोत्तम प्रथाओं की पुनरावृत्ति:** सफल पहलों, जैसे कि बिहार के बांका में स्मार्ट क्लासरूम कार्यक्रम, को बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के आकांक्षी जिलों में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए दोहराया गया है।
8. **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों, परोपकारी संगठनों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ साझेदारी कार्यक्रम में नवाचार को जोड़ती है और इसके प्रभाव का विस्तार करती है, इस विचार को चुनौती देती है कि विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी है।
9. **सुदृढ़ प्रतिस्पर्धा:** जिलों के बीच नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, जिससे महत्वाकांक्षी जिले देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों के साथ तुलना करके सुधार कर सकते हैं।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रदर्शन संकेतक

आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम के प्रदर्शन संकेतक 5 प्रमुख विषयों के अंतर्गत 49 श्रेणियों में विभाजित हैं।

- स्वास्थ्य और पोषण
- शिक्षा
- कृषि और जल संसाधन
- वित्तीय समावेशन और कौशल विकास
- मूलभूत संरचना

आकांक्षी जिला मॉडल कैसे सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद में मदद करता है

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आकांक्षी जिलों का चयन डेटा-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रारंभ में, 27 राज्यों में 112 जिलों की पहचान उनके सम्मिलित सूचकांक स्कोर के आधार पर की गई थी। इन जिलों को उनके अपेक्षाकृत कम विकास स्तर के कारण "आकांक्षी" नाम दिया गया। नीति आयोग केंद्र सरकार ओर संबंधित राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासन और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर घनिष्ठ सहयोग करता है ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल जिला कलेक्टरों, क्षेत्रीय अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित व सहभागिता और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करती है। यह प्रौद्योगिकी, वास्तविक समय डेटा निगरानी, साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण और नियमित हितधारक परामर्श पर जोर देती है।

संविधान द्वारा परिभाषित भारतीय संघवाद सहयोगी शासन प्रणाली पर आधरित है। केंद्र और राज्य दोनों को संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए गए है संविधान की सातवी अनुसूची तथा आर्टिकल 246 में विषयों का विभाजन संघ, राज्य व समवर्ती सूची में देखने को मिलता है। परन्तु व्यवहार में संविधान द्वारा केंद्र सरकार को नीति निर्माण और वितीय शक्ति अपेक्षित अधिक दी गयी है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम इस असंतुलन को नए रूप में संबोधित करता है

1. यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है, परंतु नीति क्रियान्वयन का केंद्र बिंदु जिला प्रशासन और ब्लॉक लेवल है।
2. केंद्र केवल अनुदान देने की भूमिका और केवल आदेशात्मक नियंत्रण ही नही रखता; बल्कि राज्यों और जिलों प्रशासन को भी "साझेदार" के रूप में जोड़ता है।
3. नीति आयोग ने प्रत्येक जिले के लिए एक केन्द्रीय अधिकारी को प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है, जो संबंधित विभाग का वरिष्ठ अधिकारी होता है और सम्पूर्ण जिले की प्रगति की जाँच व निगरानी करता है।

इस प्रकार आकांक्षी जिला कार्यक्रम संघवाद के दोनों रूप सहयोगी व प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों स्वरूपों का संगम प्रस्तुत करता है।

सहयोगी संघवाद की अभिव्यक्ति

आकांक्षी जिला कार्यक्रम को तीन-स्तरीय संरचना के माध्यम से लागू किया जा रहा है जोकि देश के संघात्मक मॉडल को दर्शाता है:

1. **केंद्र:** नीति आयोग इसके लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग के माध्यम से नीति दिशा, डेटा प्रणाली और समग्र मार्गदर्शन व समन्वय प्रदान करता है।
2. **राज्य:** राज्य सरकारे जिला योजनाओ का अनुमोदन और संसाधनों का आवंटन करती है। राज्य स्तर का नेतृत्व एक राज्य नोडल अधिकारी द्वारा किया जाता है जो योजनाओं के समन्वय और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। राज्य नोडल अधिकारी केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन के बीच कड़ी का काम करता है।
3. **जिला प्रशासन:** भारत में जिलों के प्रमुख जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जिले स्तर वास्तविक कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता हैं और स्थानीय नवाचार विकसित करता है तथा नीति को जमीनीस्तर पर लाने और नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह सहयोगात्मक ढांचा शासन का विकेंद्रीकरण करके नीति निर्माण में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करता है जिसमे पंचायतो के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी इस सहकारी संघवाद का हिस्सा है।

प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का स्वरूप

आकांक्षी जिला कार्यक्रम में प्रत्येक जिले की प्रगति रैंकिंग प्रणाली पर आधारित होती है। नीति आयोग प्रत्येक महीने "चैम्पियंस ऑफ़ चेंज डैशबोर्ड" के माध्यम से डेल्टा रैंकिंग जारी करता है, जिसमे एक राज्य दूसरे राज्य या एक जिला दूसरे जिले से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करके सुधार के लिए प्रेरित होते है। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम "विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा" का सर्वश्रेष्ट उदाहरण है, जिसमें बिना किसी राजनीतिक और क्षेत्रीय पक्षपात के राज्यों व जिलो का प्रदर्शन

आधारित मूल्यांकन किया जाता है। इससे प्रशासनिक उत्तरदायित्व और नवाचार-संवर्धन की भावना विकसित होती है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहल को शुरू किया गया। इसमें देश के 27 राज्यों और 4 केंद्र- शासित प्रदेशो के 500 ब्लॉक्स को चुना गया। इसका उद्देश्य जिलों के आगे बढकर जमीनी स्तर तक यानी ब्लॉक लेवल तक सेवा-डिलीवरी, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और बुनियादी अवसंरचना आदि का विकास करना शामिल है। यह स्थानीय स्तर (ब्लॉक/विकासखंड) पर डेटा-आधारित निगरानी, योजनाओ का बेहतर समन्वय और प्रशासन दक्षता को बेहतर करने पर जोर देता है।

सतत् विकास लक्ष्य और आकांक्षी जिला कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में सतत् विकास लक्ष्य को 17 वैश्विक लक्ष्यों के माध्यम से 2030 तक पुरे विश्व में से गरीबी, भुखमरी, असामनता, शिक्षा, लैंगिक असमानता, जलवायु परिवर्तन आदि जैसी समस्याओ को समाधान करके उनको खत्म करना और वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा, समानता, अच्छा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देना है। सतत् विकास लक्ष्य को वैश्विक लक्ष्य और एजेंडा 2030 के रूप में भी जाना जाता है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि यह वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ-साथ भावी पीढ़ी के लिए भी विकास को सुनिश्चित करना है।

सतत् विकास लक्ष्य और आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सम्बन्ध

सतत् विकास लक्ष्य और आकांक्षी जिला कार्यक्रम दोनों का लक्ष्य एक ही है- समावेशी और सतत विकास। जहां सतत् विकास लक्ष्यों का उदेश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, बुनियादी ढांचा, पेय जल, आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देना व हाशिए पर खड़े लोगो को बेहतर जीवन देना है वही आकांक्षी जिला कार्यक्रम सतत् विकास लक्ष्य को स्थानीय परिस्थितियों में लागू कर योजना को जमीनीस्तर पर लाने का व्यवहारिक मॉडल है। सतत् विकास लक्ष्य और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए है जैसे:-

- **SDG-3 (स्वास्थ्य):** आकांक्षी जिला कार्यक्रम में आयुष्मान भारत और पोषण अभियान जैसे योजनाओ के माध्यम से आकांक्षी जिला कार्यक्रम जमीनीस्तर पर लागू करने में सहायता करता है।
- **SDG-4 (शिक्षा):** इसको आकांक्षी जिलो में गुणवता शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया जाता है।
- **SDG-6 (स्वच्छ जल):** यह आकांक्षी जिलो के माध्यम से जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन करता है।
- **SDG-8 (सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि):** आकांक्षी जिला कार्यक्रम वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के माध्यम से इसको प्राप्त करने में मददगार साबित होता है।
- **SDG-11 (सतत शहर और समुदाय):** यह लक्ष्य बुनियादी ढांचे को बेहतर करने की बात करता है।

पिछड़ेपन से आकांक्षा तक

आकांक्षी जिला कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लाने के लिए व देश मे समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा इन जिलों/ब्लॉक तथा पक्ति के आखिर मे खड़े व्यक्ति के विकास के लिए विभिन्न पहल/योजनाएं चलाई गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के पाँच प्रमुख संकेतों स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, मूलभूत संरचना को ध्यान मे रखते हुए सभी पाँच प्रमुख संकेतों के पाँच- पाँच मॉडलो को दर्शाया गया है।

तालिका 1- स्वास्थ्य और पोषण

सं.	राज्य	जिला/ब्लॉक	मुख्य समस्या	नीति/हस्तक्षेप	मुख्य परिणाम
1	बिहार	शेखपुरा	कुपोषण, कमजोर ECCE, खराब आंगनवाड़ी	"शिक्षा और स्वास्थ्य आंगन"	Stunting 18% → 7%, 95% Attendance, बेहतर मातृत्व देखभाल
2	असम	कछार	बाढ़ क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच कम	"अपहुँचनीय तक पहुँच" – उच्च रक्तचाप और मधुमेह स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल और नाव शिविर आदि।	100% बीपी और डायबिटीज़ स्क्रीनिंग
3	जम्मू-कश्मीर	बंदीपुरा	दूरस्थ क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं।	तुलैल में संवेदनशील सीमा आबादी के लिए मोबाइल चिकित्सा पहुंच।	100% संस्थागत सेवा, 6000+ स्क्रीनिंग।
4	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	स्तन कैंसर का देर से पता लगना।	स्तन कैंसर का पता लगाने वाली स्क्रीनिंग मशीन की स्थापना।	201 में 31 संदिग्ध, 6 मामले पाए गए।
5	राजस्थान	उदयपुर	मातृ मृत्यु, कम ANC	स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु – आदिवासी राजस्थान में प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल को मजबूत करना।	ANC 60% ⟶ 90%, बेहतर नवजात देखभाल।

सबसे पहले स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों की बात करें, तो यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर की गई पहलें ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए हैं। बिहार के शेखपुरा जिले में लागू "शिक्षा और स्वास्थ्य आंगन" मॉडल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ गंभीर कुपोषण दर 18.07% थी जोकि योजना लागू करने के बाद 18.07% से घटकर मात्र 7.59% हो गई, जो कि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसी प्रकार, संस्थागत सेवाओं की दरें भी 35.51% तक बढ़ी, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ। वहीं जब हम जम्मू-कश्मीर को देखें तो बांदीपुरा जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स मॉडेल के माध्यम से 6500 से अधिक स्थानीय लोगों की जांच की गई और संस्थागत सेवाएं 100% तक पहुँच गई। यह मॉडल दर्शाता है कि यदि भौगोलिक बाधाओं को नवाचार और तकनीक के माध्यम से दूर किया जाए, तो सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को सुगम बनाया जा सकता है। इससी तरह से, असम के कछार जिले के लक्षीपुर ब्लॉक में तो मोबाइल और नाव आधारित शिविरों के माध्यम से उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों की 100% स्क्रीनिंग प्राप्त की गई, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के एक प्रभावी मॉडल दर्शता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले मे महिलाओं में देरी से पहचान के कारण स्तन कैंसर मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ था। यहाँ महिलाओं के लिए कोई सुलभ ओर किफायती स्तन जांच तंत्र नहीं था। इस अंतर को दूर करने के लिए, NIRAMAI थर्मल ब्रेस्ट स्क्रीनिंग मशीन की शुरुआत की गई ताकि सभी पात्र महिलाओं को मुफ्त, अच्छी ओर किफायती स्तन कैंसर जांच प्रदान की जा सके। जिसमें 201 महिलाओं की जांच में से, 31 संभावित मामलों के रूप में पहचान की गईं तथा 6 पक्के ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आए। इस पहल ने सफलतापूर्वक प्रारंभिक निदान को सक्षम किया, समय पर उपचार की अनुमति दी और महिलाओं को सुरक्षित, दर्द रहित और मुक्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई। जिससे महिलाओ की स्थिति मे

सुधार आया। अगर हम राजस्थान के उदयपुर जिले को देखें जोकि मुख्यतः जनजातीय ब्लॉक है, जोकि उच्च मातृ और शिशु मृत्यु दर में होने के कारण संघर्ष कर रहा था, जिसका मुख्य कारण गर्भावस्था में विशिष्ट देखभाल (ANC) में देरी, स्वास्थ चुनौतिया, घर में प्रसव की प्रचलितता और संरचित प्रसवोत्तर देखभाल की कमी थी। 2023 तक केवल 60% गर्भवती महिलाओं का ANC के लिए पंजीकरण हुआ था। जिसका मुख्य कारण संरचनात्मक चुनौतियां—जैसे बिखरे हुए दूरस्थ गांव, खराब परिवहन, कम साक्षरता (54%) आदि थीं। इसे हल करने के लिए, प्रशासन ने दोहरे पहल की शुरुआत की: जिसके कारण गर्भपूर्व देखभाल (ANC) पंजीकरण 60% से बढ़कर 2025 में 90% तक हो गया। जिसमें हजारों आदिवासी महिलाओं को समय पर गर्भपूर्व देखभाल से जोड़ा गया, जिसके करण संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई, और मातृ स्तनपान दर में भी सुधार हुआ तथा मातृ गरिमा, प्रसवोत्तर निगरानी, और संस्थागत नवजात देखभाल को स्पष्ट रूप से बढ़ाया गया।

तालिका 2: शिक्षा

सं.	राज्य	जिला/ब्लॉक	मुख्य समस्या	नीति/हस्तक्षेप	मुख्य परिणाम
1	महाराष्ट्र	यवतमाल (पुसाद)	उच्च ड्रॉपआउट (8.3%), कम भागीदारी (<20%), रटंत शिक्षा	बाहरी सीखने (outdoor learning), सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सहभागिता आधारित शिक्षण	ड्रॉपआउट 8.3% ⟶ *2.1%,* भागीदारी 20% ⟶ 80%, रुचि 38% ⟶ *67%,* नामांकन↑
2	नागालैंड	किफ़िरे	खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, कम डिजिटल पहुंच, कम सामुदायिक भागीदारी	LIFT पहल: डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय, पोषण, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार	1,198+ छात्र लाभान्वित, 1,150 डिजिटल शिक्षा, उपस्थिति ↑, ड्रॉपआउट ↓
3	झारखंड	ईस्ट सिंहभूम	कम उपस्थिति, खराब परिणाम, अभिभावक सहभागिता की कमी	PARAKH: साप्ताहिक मूल्यांकन, डेटा आधारित शिक्षण, सामुदायिक भागीदारी	छात्र उपस्थिति 64% ⟶ 78%, शिक्षक 71% ⟶ 84%, 96% पास (कक्षा 10), ICT लैब
4	मध्य प्रदेश	खंडवा	कम शैक्षिक गुणवत्ता, कमजोर परिणाम	"प्रज्ञा" पुस्तिका, वीडियो लेक्चर, वैयक्तिकृत शिक्षण	कक्षा 10: 60.58% ⟶ 83.37%, कक्षा 12: 69.23% ⟶ 83.28%, learning gap ↓
5	हरियाणा	नूह	शिक्षक की भारी कमी, उच्च ड्रॉपआउट दर, निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा	शिक्षक सहायक कार्यक्रम, स्थानीय स्वयंसेवकों की नियुक्ति	PTR स्कूल 40% ⟶ 71%, संक्रमण दर ↑, भाषा स्कोर ↑, नामांकन ↑

शिक्षा संकेतकों में भी नवाचारों ने उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। जैसा की महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की बात करे तो वह पर बाहरी गतिविधियों और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को शिक्षा से जोड़ने के परिणामस्वरूप छात्रों की ड्रॉपआउट दर 8.3% से घटकर 2.1% हो गई और स्कूल में छात्रों की भागीदारी 80% से अधिक हो गई। इसी तरह से नागालैंड के किफ़िरे जिले में शिक्षा से जुड़ी समस्याएं- जैसे कमजोर अवसंरचना, डिजिटल तक कम पहुँच और सीमित भागीदारी—को दूर करने हेतु "LIFT: Local Innovation for Future Thinking" नमक पहल शुरू की गई। इस पहल में स्कूलों में सुधार, डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय व उसका संरक्षण और पोषण को शामिल किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप 1,198 से भी अधिक छात्रों (प्री-प्राइमरी से कक्षा 12) को लाभ प्राप्त हुआ, जबकि कक्षा 9–10 के 1,150 छात्र डिजिटल शिक्षा के माध्यम से जुड़े। इस "शिक्षा मित्र" अभियान के तहत 86 सरकारी स्कूलों मे सुधार किया गया। इससे छात्रों की उपस्थिति बढ़ी, ड्रॉपआउट कम हुआ और शिक्षण गुणवत्ता में भी सुधार आया। इसी तरह, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में साप्ताहिक मूल्यांकन प्रणाली लागू करने से विधालय में छात्रों की उपस्थिति दर 64% से बढ़कर 78% हो गई तथा शिक्षक उपस्थिति दर भी 71% से बढ़कर 84% हो गई। वही मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में "प्रज्ञा पुस्तिका" मॉडल के माध्यम से कक्षा 10वी का रिजल्ट 60.58% प्रतिशत से बढ़कर 83.37% प्रतिशत हो गया और 12वी कक्षा का परिणाम 69.23% से बढ़कर 83.28% हो गया। ये आँकड़े यह सिद्ध करते हैं कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए नवाचारी और डेटा-आधारित दृष्टिकोण अत्यंत प्रभावी हैं। अंत मे हरियाणा के नूह जिले की बात करे जिसमें 2020 तक शिक्षकों की भारी कमी थी। जहां 114 स्कूल बिना शिक्षकों के और 112 स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक नियुक्त था। इस समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने मेवात विकास एजेंसी व एनजीओ के सहयोग से "शिक्षा सहायक कार्यक्रम" शुरू किया, जिसमें स्थानीय प्रशिक्षित युवाओं को शिक्षक सहायकों के रूप में नियुक्त किया गया। इसका प्रभाव यह रहा की प्राथमिक विद्यालयों में RTE के मानक के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात 40% से बढ़कर 2023 तक 71% हो गया। इसके साथ ही संक्रमण दर प्राथमिक से उच्च प्राथमिक जोकि 89% से बढ़कर 97% हो गया और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक 70% से बढ़कर 85% हो गई। इसकें माध्यम से 650+ युवाओं को रोजगार मिला और स्कूल मे विशेषकर लड़कियों का नामांकन बढ़ा।

तालिका 3: कृषि और जल संसाधन

सं.	राज्य	जिला/ब्लॉक	मुख्य समस्या	नीति / हस्तक्षेप	परिणाम
1	झारखंड	सरायकेला-खरसावां (गाम्हरिया)	सिंचाई की कमी, मानसून पर निर्भरता, पलायन	खरसावां लिफ्ट सिंचाई योजना, जल पंचायत, व्हाट्सएप आधारित जल आपूर्ति	सिंचित क्षेत्र 1760 ⟶ 11,366 हे. , पलायन ↓, ड्रॉप आउट 773 ⟶ 182, आय ↑
2	ओडिशा	सुंदरगढ़	महिला किसानों की कम भागीदारी, बाजार व क्रेडिट की कमी	महिला-प्रधान FPO, 10K FPO योजना, संस्थागत जुड़ाव	सदस्यता 300% ↑, 85% भागीदारी, ₹8.5 लाख कारोबार, आय ↑
3	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम (नमची)	बाजार तक पहुंच की कमी, कम आय, समन्वय अंतराल	"प्रयास" पहल, SHG-FPO संबंध, साप्ताहिक बाजार	आय 250% ↑, ₹2000–7000 साप्ताहिक आय, महिला सशक्तिकरण
4	गुजरात	नर्मदा	रासायनिक खेती से पर्यावरण व स्वास्थ्य समस्या	प्राकृतिक खेती (NMNF), देसी इनपुट, प्रशिक्षण	10,703 किसान जुड़े, 6,442 एकड़ क्षेत्र, बाज़ार तक पहुंच ↑
5	मध्य प्रदेश	अनुपपुर	बंजर भूमि, कम आय, पलायन	लेमनग्रास खेती (ODOP), मूल्य संवर्धन	451 एकड़ खेती, ₹36,000/acre आय, कुल ₹1.62 करोड़, पलायन ↓

कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र की बात करें तो वह पर भी कई परिवर्तनकारी प्रयास सामने आए हैं। झारखंड के गाम्हरिया ब्लॉक में "सामुदायिक सिंचाई योजना" के तहत सब्जियों की खेती के क्षेत्रफल मे वृद्धि देखने को मिलती है जोकि 1760 हेक्टेयर से बढ़कर 11,366 हेक्टेयर हो गया। इसके साथ ही, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 773 से घटकर 182 रह गई, जो कृषि सुधार के सामाजिक प्रभाव को भी दर्शाता है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिलें को देखें तो उसमें महिला किसानों की कम भागीदारी, कम आय, बढ़ती बेरोजगारी ओर बाजार व क्रेडिट तक सीमित पहुँच जैसी समस्या प्रमुख थी। 2013 में इस समस्या को खत्म करने लिए 10K FPO (Farmer Producer Organization) योजना चलाई गई। स्थापना के समय, FPO के सदस्यों में कम जागरूकता, कमजोर शासन, क्रेडिट लिंक की कमी, खराब बुनियादी ढांचा और न्यूनतम सहभागिता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिसमें केवल 70 सदस्यों जिनमें से सिर्फ 25% की सक्रिय भागीदारी थी। हस्तक्षेप के बाद 300+ महिला किसानों को लाभ प्राप्त हुआ ओर सदस्यता में भी 300% से अधिक की वृद्धि हुई ओर कारोबार भी ₹8.5 लाख तक बढ़ा और लाभ मार्जिन ₹1.12 लाख तक पहुँच गया। इसके साथ ही सदस्य सहभागिता में भी 85% भागीदारी हासिल की गई। इसी तरह सिक्किम के नमची ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में, स्व-सहायता समूह (SHGs), किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और सहकारी संस्थाएं उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पाद बनाने में संलग्न थीं, लेकिन उन्हें संरचित बाजारों तक निरंतर पहुँच नहीं थी। इन समूहों को सीमित दृश्यता, असमान आय और संस्थागत समर्थन की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हस्तक्षेप के बाद "प्रयास" पहल ने SHGs, FPOs और सहकारिताओं को बाजार के साथ जोड़ा। ओर 6 महीनों में 15+SHGs, 3 FPOs और 2 सहकारिताएँ इस अभियान से जुड़ीं, जिनकी साप्ताहिक आय ₹2,000–₹7,000 रही और औसत आय 250.53% तक बढ़ गई। यह पहल महिला सशक्तिकरण, सतत प्रथाओं और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता का एक सफल मॉडल बनी। इसी तरह से गुजरात के नर्मदा जिले में भी 10,703 किसानों द्वारा कैमिकल खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाई गई, जिससे 6,442 एकड़ भूमि पर सतत कृषि को बढ़ावा मिला व मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ी। इससी तरह हम मध्य प्रदेश के अनुपपुर जिले की बात करे जहां खेती मे नवाचार लाकर बंजर भूमि को भी उपयोग मे लाया गया जिसमे लेमनग्रास की खेती से किसानों को प्रति एकड़ 36,000 रुपये वार्षिक आय होने लगी, जिससे बंजर भूमि का उपयोग भी संभव हुआ।

तालिका 4: वित्तीय समावेशन और कौशल विकास

सं.	राज्य	जिला/ ब्लॉक	मुख्य समस्या	नीति/हस्तक्षेप	मुख्य परिणाम
1	बिहार	कटिहार, मुंगेर	वित्तीय साक्षरता की कमी, बैंकिंग सेवाओं तक कम पहुंच।	वित्तीय साक्षरता अभियान, SHG प्रशिक्षण, बैंकिंग जागरूकता कार्यक्रम आदि चलाएं गए।	बैंक खातों में वृद्धि, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, वित्तीय समावेशन मजबूत हुआ।
2	झारखंड	साहिबगंज	ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की कमी	बैंक मित्र मॉडल, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा गया।	ग्रामीण लोगों की बैंकिंग तक पहुंच बढ़ी, कैशलेस लेनदेन में वृद्धि हुई।
3	मध्य प्रदेश	धार	कौशल की कमी, बेरोजगारी	कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चलाएं गए।	युवाओं को रोजगार मिला, आय में वृद्धि
4	झारखंड	पाकुर	PVTG समुदायों की गरीबी, कम साक्षरता, रोजगार की कमी, बाज़ार तक पहुंच का अभाव	प्रोजेक्ट BADLAOW, GGKT (महिला FPO), कौशल प्रशिक्षण (RSETI/NABARD), पिंक टोटो, SHG एंटरप्राइजेज	3000+ प्रत्यक्ष लाभार्थी, आय ₹0 ⟶ ₹6000–8000/माह, 1.5 करोड़ टर्नओवर, महिला सशक्तिकरण
5	छत्तीसगढ़	महासमुंद (गोडबहल गाँव)	जंगल पर निर्भरता, सीमित आय, बंजर भूमि	दुग्ध सहकारी समिति (Dairy Cooperative), ODOP (दूध), SBI ऋण, RIPA प्रशिक्षण	दूध उत्पादन 100–150 ⟶ 1500 ली./दिन, 100+ परिवारों को आय, ₹5–6 लाख/माह

वित्तीय समावेशन और कौशल विकास संकेतकों की बात करें इस क्षेत्र में भी यह दस्तावेज़ कई सफल उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे की बिहार के कटिहार में स्थापित सिलाई इकाई के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त किया गया जिससे उनको प्रति माह 8000 से 15000 रुपये तक की आय भी प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच को बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान, SHG प्रशिक्षण, बैंकिंग जागरूकता कार्यक्रम आदि चलाएं गए जिससे की बैंक खातों में वृद्धि, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, वित्तीय समावेशन मजबूत हुआ। इसी तरह हम देखें झारखंड के साहिबगंज में जलकुंभी जैसी समस्या को अवसर में बदलते हुए 270 महिलाओं को रोजगार दिया गया, जिनकी आय 6000–8000 रुपये प्रति माह हो गई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए बैंक मित्र मॉडल व डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा गया। ग्रामीण लोगों की बैंकिंग तक पहुंच बढ़ी, कैशलेस लेनदेन में वृद्धि हुई साथ ही साथ प्रशासन मे भी पारदर्शिता आई। इसी तरह हम मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्रामीण युवाओं मे कौशल की कमी के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी जिसकों दूर करने के लियें कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चलाएं गए। जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिला तथा उनकी आय में वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ में भी महासमुंद जिले में डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से दूध उत्पादन को 150 लीटर से बढ़ाकर 1500 लीटर प्रतिदिन कर दिया, जिससे 100 से अधिक ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हुई। वही झारखंड के पाकुर जिला में "Project BADLAOW" एक समग्र कौशल व आजीविका पहल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की सबसे हाशिए पर रह रही समुदायों को सशक्त बनाना है जो विशेष रूप से PVTG समुदायों—माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। परियोजना के मूल में गुटु गलांग कल्याण ट्रस्ट (GGKT) है जिसकी शुरुआत 2019 में 6 महिलाओं और ₹4.5 लाख रुपये की बीज धनराशि से हुई, जिसने 75,000 से अधिक परिवारों को रोजगार तथा 3 वर्षों में ₹1 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया और 2025 तक ₹1.5 करोड़ तक पहुँचा। परियोजना के तहत तसर रेशम की खेती, नर्सरी, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, "पिंक टोतो", दीदी कैफे जैसे विविध आजीविका अवसर विकसित किए गए। साथ ही ट्रस्ट को नए उत्पादन जैसे चावल के बोरे, बीज बैंक, और दाल और बाजरा के प्रसंस्करण इकाइयों को शामिल करके पुनर्जीवित किया गया। जिसका प्रभाव ये हुआ कि 3,000 से अधिक महिलाएँ सीधे और 5,000+ अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुई। महिलाओं की मासिक आय ₹0 से बढ़कर ₹6,000–₹8,000 हुई। वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग पहुँच और आत्मनिर्भरता में सुधार हुआ। कुपोषण, बाल विवाह व मादक पदार्थों के दुरुपयोग में कमी आई तथा शिक्षा में भागीदारी बढ़ी, जिससे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित हुआ। 'दीदी की दुकान' जैसे प्लेटफार्मों ने पारंपरिक शिल्प और स्थानीय भोजन को संरक्षित किया, जिससे सांस्कृतिक निरंतरता सुनिश्चित हुई।

तालिका 5: मूलभूत संरचना ओर सामाजिक विकास

सं.	राज्य	जिला/ ब्लॉक	मुख्य समस्या	नीति/हस्तक्षेप	मुख्य परिणाम
1	जम्मू & कश्मीर	बांदीपोरा	दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच।	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मोबाइल कनेक्टिविटी, सड़क निर्माण, सेवा पहुंच कार्यक्रम।	सेवाओं की पहुंच बढ़ी, शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
2	महाराष्ट्र	हिंगोली	ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की कमी, खुले में शौच जाना,	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, मल्टी-सेक्टरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास	जीवन स्तर में सुधार, महिलाओं की सुरक्षा में सुधार, जलजनित रोगों में कमी
3	मध्य प्रदेश	सतना	सुरक्षित पेयजल की कमी, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी	जल जीवन मिशन	कुपोषण में कमी, बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार
4	बिहार	जमुई	असमर्थक कचरा प्रबंधन प्रणाली, हानिकारक और प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन स्रोतों	गोबरधन प्लांट, सतत कचरा प्रबंधन	सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, शुद्ध-शून्य अपशिष्ट प्रबंधन
5	महाराष्ट्र	पालघर	निम्न साक्षरता, खराब स्वच्छता, कुपोषण, और सीमित आजीविका विकल्पों	समुदाय-केंद्रित हस्तक्षेप, प्रोजेक्ट नया सवेरा,	ड्रॉपआउट कम, छात्र सहभागिता बढ़ी, मौलिक कौशल विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे, पलायन मे कमी

अंततः, आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास संकेतकों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिले है। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के तुलैल ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100% आवास कवरेज प्राप्त किया गया, जिससे लोगों को सुरक्षित और स्थायी घर मिले। जिले में खराब सड़क कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना के अभाव के कारण योजना का कार्यान्वयन बहुत धीमा था। हस्तक्षेप के बाद घर-घर जा कर 100% सत्यापन किया गया साथ ही साथ ऑफलाइन जीयो-टैगिंग, आधार लिंकिंग और सर्दियों से पहले निर्माण सामग्री का भंडारण किया गया। इसके परिणामस्वरूप 100% स्थानीय पात्र परिवारों को पक्का आवास मिला, जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा और जीवन के स्तर में सुधार हुआ। वही हम महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की बात करें तो वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाए रखने और ODF प्लस की दिशा में कार्य किया गया है। हालांकि, व्यवहारिक आदतें, लोगों मे जागरूकता की कमी और जल आपूर्ति की समस्या जैसी चुनौतियाँ सामने आई। इनसे निपटने के लिए घर-घर जागरूकता अभियान चलाएं गए, सोख गड्ढों का निर्माण, स्वच्छता समितियों की स्थापना की गई। इसके परिणामस्वरूप स्वच्छता, स्वास्थ्य और महिलाओं की गरिमा में सुधार हुआ तथा जलजनित रोगों में कमी आई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। जिसमें 55,980 घरों में नल जल कनेक्शन दिए गए और 162 गांव को "हर घर जल" घोषित किए गए। ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई और ग्राम जल समितियों का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय महिलाओं की भी 50% भागीदारी रही। अब तक 167 जल परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और हजारों घरों को नल जल कनेक्शन मिला है। बिहार के जमुई जिले में गोबरधन बायोगैस प्लांट के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा और कचरा प्रबंधन की समस्या का समाधान किया। यह संयंत्र/प्लांट प्रतिदिन लगभग 2000 किलो गोबर से 80 घन मीटर बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन करता है। इससे किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध हुई और रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। यह "नेट जीरो वेस्ट" मॉडल पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों में सहायक साबित हुआ। महाराष्ट्र के पालघर जिले के अनवीर गांव में स्थानीय आदिवासी समुदये के लिए शिक्षा, कृषि, आजीविका और स्वच्छता के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ। प्रोजेक्ट नया सवेरा के माध्यम से शिक्षा सुधार, कृषि में नवाचार, महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम और स्वच्छता अभियानों के माध्यम से गांव का समग्र विकास हुआ। जिससे स्कूल ड्रॉपआउट कम हुए, किसानों की आय बढ़ी, महिलायें भी आर्थिक रूप से सशक्त हुई और स्वच्छता में सुधार हुआ।

मुख्य परिणाम

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि भारत के विभिन्न राज्यों और जिलों के बीच विकास का स्तर असमान है। कुछ राज्य औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से आगे हैं, जबकि कुछ अब भी विकास की गति में पिछड़े हुए हैं। संघवाद के माध्यम से इन पिछड़े क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान की गई है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके। यह समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम सहकारी व प्रतिस्परथी संघवाद के माध्यम से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नीतियों के निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ है। भारत में विभिन्न राज्यों की भौगोलिक स्थिति तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। जैसे-पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याएँ मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती हैं, वहीं तटीय व सीमा से लगे राज्यों की चुनौतियाँ भी अलग होती हैं। ऐसी स्थिति में सभी नीतियाँ केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएँ, तो वे हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाती है। आकांक्षी जिला मॉडल समस्या की जड़ तक जाकर मूल समस्या का पता लगता है ओर जमीनी स्थिति के अनुसार योजनाओं का निर्माण करता है।

इस प्रकार आकांक्षी जिला मॉडल द्वारा स्थानीय कमजोरियों को पहचान कर उसपर काम किया जाता है। जहां केंद्र द्वारा बनाई गई नीतियाँ केवल कागजों तक ही सीमित रहती थी, यह मॉडल देश के कमजोर व पिछड़े जिलों को पिछड़ेपन से विकास तक ले जाता है और संघवाद के मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, लोकतांत्रिक भागीदारी और संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को साकार करती है।

यह कहा जा सकता है कि संघवाद और आकांक्षी जिला कार्यक्रम एक-दूसरे के पूरक हैं। जहाँ संघवाद संस्थागत ढाँचा प्रदान करता है, वहीं आकांक्षी जिला मॉडल उसी ढाँचे के अंदर कार्य करते हुए जमीनी स्तर पर विकास को साकार करता है। जिसमे केंद्र सरकार नीति और संसाधन आवंटन करती है, राज्य सरकारें निगरानी और समन्वय स्थापित करती हैं, और जिला प्रशासन योजनाओं को लागू करता है। इस प्रकार, तीनों स्तरों के बीच समावेशी विकास को लेकर सहकारी संघवाद की झलक को देखा जाता है।

संघवाद और आकांक्षी जिला कार्यक्रम एक-दूसरे के पूरक हैं इस तथ्य को हम नीचे के दिए गए बिंदुओं से स्पष्ट रूप मे समझ सकते है।

1. **स्थानीय जरूरत के अनुसार नीति:** यह स्थानीय जरूरतों के अनुसार नीतियों के निर्माण को संभव बनाता है। भारत के विभिन्न राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याएँ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से अलग हैं, इसी तरह आदिवासी बहुल क्षेत्रों की समस्या शहरी क्षेत्रों से भिन्न होती हैं। संघवाद राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार योजनाएँ बनाने और योजना को लागू करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे विकास अधिक लक्षित और प्रभावी बनता है।
2. **प्रशासनिक विकेंद्रीकरण:** जब निर्णय लेने की शक्ति निचले स्तरों तक पहुँचती है, तो नीतियों का क्रियान्वयन आधिक प्रभावी तरीके से होता है। जिसमें स्थानीय स्तर पर पंचायतों ओर नगर निकायों के माध्यम से

योजनाओं का संचालन होता है। जिलाधिकारी (DM) को नेतृत्व प्रदान किया जाता है, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सके। जिससे जनभागीदारी को बढ़ावा मिलता है और विकास की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक बनती है।

3. **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक**: केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और वित्तीय अनुदान के माध्यम से पिछड़े राज्यों और जिलों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे संसाधनों का समान वितरण ओर जरूरत के हिसाब से वित का सही संरक्षण सुनिश्चित होता है और विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचता है।
4. **नीतिगत नवाचार:** राज्य अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार नई योजनाएँ का निर्माण करते हैं। यदि योजना सफल होती है, तो अन्य राज्य भी उसे अपनाते हैं। इस प्रकार, राज्यों व जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहयोग की भावना विकसित होती है, जिससे समग्र देश के विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में कई राज्यों ने अभिनव पहलें की हैं, जिन्हें बाद में अन्य राज्यों ने भी अपनाया।
5. **सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के संरक्षण में सहायक:** भारत में विभिन्न भाषाएँ, संस्कृतियाँ और परंपराएँ हैं एक ही राज्य मे कई बोलियाँ या उपभाषा बोली जाती है। यदि शासन पूरी तरह केंद्रीकृत होगा, तो इन विविधताओं को बनाए रखना कठिन हो जाता। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था हर राज्यों को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने की स्वतंत्रता दी गई है। इससे सामाजिक समरसता बनी रहती है और विकास का वातावरण भी सकारात्मक रहता है।
6. **डेटा-आधारित शासन और पारदर्शिता:** आकांक्षी जिला प्रोग्राम में "डेल्टा रैंकिंग" प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत जिलों की प्रगति को नियमित रूप से मापा जाता रहता है। यह प्रणाली डेटा-आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करती है। संघवाद के अंतर्गत केंद्र ओर राज्य सरकार दोनों इस रियल टाइम डेटा का उपयोग करके बेहतर नीतियाँ बना सकते हैं। इससे शासन मे पारदर्शिता बढ़ती है और विकास के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
7. **आर्थिक सशक्तिकरण:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम मे विशेष तौर पर कृषि, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करके पिछड़े जिलों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। इससे गरीब और वंचित वर्गों को आजीविका के नए अवसर मिले हैं तथा रोजगार मे वृद्धि हुई। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करके आर्थिक नीतियाँ बनाने की स्वतंत्रता होती है, जिससे वे बेहतर विकास कर सकते हैं।
8. **बुनियादी ढाँचे का विकास:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य दूर दराज के क्षेत्रों को सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सुधार करके दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ाना भी है। यह समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है, क्योंकि बिना बुनियादी सुविधाओं के विकास संभव नहीं है।
9. **सामाजिक क्षेत्र में सुधार:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत व्यक्ति के विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिसके अंतर्गत टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, स्कूल नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है।

इस प्रकार आकांक्षी जिला मॉडल विकास को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यक्ति के सामाजिक ओर आर्थिक, संस्कृतक ओर व्यक्तिगत विकास के रूप मे भी देखता है जिसमे शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, प्रतिव्यक्ति आय, कृषि, पोषण, कौशल ओर संरचना पर भी ध्यान दिया गया है जिससे की न सिर्फ व्यक्तिगत विकास बल्कि देश का भी सम्पूर्ण विकास संभव हुआ है। जब व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है तो उसके साथ देश का सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) को भी बढ़ावा मिलता है। आकांक्षी जिला मॉडल मे शासन की कल्पना को भी साकार किया है जब नीतियों को स्थानीय जरूरत के हिसाब से बनाया गया। इसलिए इस मॉडल को स्थानीय लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। जिससे शासन मे जन भागीदारी सुनिश्चित हुई जिस कारण नीतियाँ केवल कागजों मे न रह कर शासन के सबसे छोटे स्तर यानि की ग्राम स्तर तक भी अपनी पहुच बना सकती है। यह मॉडल ना सिर्फ नीति निर्माण तक सीमित है बल्कि इसमे ग्रामीण आवश्यकता के अनुसार प्रशासनिक सुधार मे भी सहायक सिद्ध होता है। जिससे प्रशासनिक दक्षता मे भी वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष

आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मूल दर्शन सरल लेकिन गहरा है। यह स्थिति को "पिछड़ेपन" से "आकांक्षा" में बदलना जिससे चौतरफा विकास सुनिश्चित किया जा सके तथा डेटा- संचालित शासन, सहयोग व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जिलों को उनकी छिपी हुई क्षमता व संसाधनों के उचित उपयोग और विवरण में माध्यम से जिलों को सशक्त बनता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम केवल एक विकास मॉडल मात्र नही है, बल्कि यह भारतीय संघवाद की नई दिशा "नव-संघीय विकास मॉडल" की झलक भी दिखती है। इसने साबित करके दिखाया, कि यदि केंद्र और राज्य सहकारी संघवाद के माध्यम से सकारात्मक प्रशासनिक प्रतिस्पर्था और सहयोग की भावना से कार्य करे, तो पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र को भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते है। चयनित जिलों में विकास चुनौतियों को संबोधित करके, आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने का लक्ष्य रखता है। यह क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने, मानव विकास संकेतकों में सुधार करने, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और राष्ट्र के लिए समावेशी और सतत भविष्य को सुनिश्चित करने में योगदान देता है। इस कार्यक्रम ने सहकारी संघवाद व विकास को जमीनी स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया है, जहाँ जिला विकास इकाई के रूप में उभर कर आया तथा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ने इसको गाँवो तक पहुंचा दिया जिसमे "ब्लॉक" को विकास की इकाई माना। लेकिन इसके समक्ष कई प्रकार की चुनौतियाँ भी देखने को मिलती है जैसे- राजनीतिक, वितीय और संस्थागत चुनौती आदि जिसको राजनीतिक सहभागिता, प्रशासनिक दक्षता और वितीय संसाधनों के उचित उपयोग में माध्यम में खत्म किया जा सकता है।

References

1. Aiyar Y, Kapur A. The centralization versus decentralization tug of war and the emerging narrative of fiscal federalism for social policy in India. Regional and Federal Studies. 2019;29(2):187-217.
2. Kumar C. Federalism in India: A critical appraisal. Journal of Business Management and Social Science Research. 2014;3(3).
3. Kumar M. Nature of Indian federalism: An analysis of historical basis and problems. International Journal of Humanities and Social Science Invention. 2018;7(1).
4. Amadi OS, Echem MO, Nwoko MCO. The theory and practice of federalism: A critical analysis of history and global trend. International Journal of Scientific Engineering and Science. 2017;1(7):42-49.
5. Chakraborty P, Gupta M. Evolving Centre-State financial relations. Economic and Political Weekly. 2016;51(16).

6. Constituent Assembly Debates. Vol. VII. New Delhi: Constituent Assembly of India; p. 34.
7. Jain MP. Indian federalism: Background paper. In: Seminar on Constitutional Developments Since Independence. New Delhi: Indian Law Institute; c1973.
8. Sharma CK, Swenden W. Continuity and change in contemporary Indian federalism. India Review. 2017;16(1):1-13. doi:10.1080/14736489.2017.1279921.
9. Kumar PA. Rethinking India's federalism. Economic and Political Weekly. 2017;52(29).
10. Katz E. American federalism: Past, present and future. In: Reinventing American Federalism: Issues of Democracy. Washington (DC): United States Information Agency; 1997. Vol. 2, No. 2.
11. Kumar A. Centrally sponsored schemes and Centre-State relations: A comment. Dvara Research Working Paper Series. 2020;(WP-2020-05).
12. Lepine F. A journey through the history of federalism: Is multilevel governance a form of federalism? L'Europe en Formation. 2012;363(1).
13. Malik MA. Changing dimension of federalism in India: An appraisal. ILT Law Review. 2019;2(Winter Issue).
14. Grodzins M. The federal system. In: Wildavsky A, editor. American Federalism in Perspective. Boston: Little, Brown and Company; c1967. p. 261.
15. Palekar SA. Federalism: A conceptual analysis. The Indian Journal of Political Science. 2006;67(2).
16. Rani V. Centre-State relations in India. Paripex – Indian Journal of Research. 3(3).
17. Sahoo N. Centre-State relations in India: Time for a new framework. ORF Occasional Paper. 2015;(62).
18. Sharma CK. Reimagining federalism in India: Exploring the frontiers of collaborative federal structure. MPRA Paper. 2015;(63160).
19. Singh PM. Reorganization of states in India. Economic and Political Weekly. 2008;43(11).
20. Varshney A. How has Indian federalism done? Studies in Indian Politics. 2013;1(1):43-63.
21. NITI Aayog. Stories of change: Aspirational districts and blocks. New Delhi: Government of India; c2025.
22. United Nations. The Sustainable Development Goals Report 2023. New York: United Nations; c2023.
23. United Nations. The Sustainable Development Goals Report 2024. New York: United Nations; c2024.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.